106

न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी, जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा पारीक आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2020

प्रार्थीगण–

1. हुकमाराम पुत्र स्व. श्री तेजाराम
2. हीराराम पुत्र स्व. श्री तेजाराम
3. पांचाराम पुत्र स्व. श्री तेजाराम
4. रेवतराम पुत्र श्री गिरधारीराम
5. झम्मू देवी उर्फ झमुड़ी पत्नी श्री सूराराम
6. किरण पुत्री सूराराम
7. सुशीला पुत्री सूराराम,

प्रार्थी संख्या 6 व 7 दोनों नाबालिग कुदरती वली माता श्रीमती झम्मू देवी, सभी जातियान्–जाट निवासीगण ग्राम खेड़ापा, तहसील बावड़ी, जिला–जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1 मदनसिंह पुत्र श्री गंगासिंह, जाति–पुरोहित।

2 सवाईसिंह पुत्र श्री गंगासिंह, जाति–पुरोहित।

निवासी गण ग्राम खेड़ापा, तहसील बावड़ी, जिला–जोधपुर।

3 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बावड़ी।

4 थार आचलिक ग्रामीण बैंक शाखा खेड़ापा, जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1 श्री माणकराम माली अधिवक्ता प्रार्थीगण

2 श्री ओमप्रकाश बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:39:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 07.01.2022

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है। कि मौजा खेड़ापा तहसील–बावड़ी, जिला जोधपुर की सरहद में खेत खसरा न. 234 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है। जो कि पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज श्री तेजाराम की खरीदशुदा है। जिस पर वक्त खरीद से आज दिन प्रार्थीगण का पूर्व के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि को आगे के पक्ष में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

प्रार्थीगण स्व. श्री तेजाराम पुत्र श्री देवाराम के वारिसान् है। जिनकी वंशावली निम्नानुसार है।

श्री तेजाराम पुत्र श्री देवाराम (फौत)

हुकमाराम (पुत्र) हीराराम (पुत्र) पांचाराम (पुत्र) गिरधार राम (पुत्र) फौत

रेवन्तराम पुत्र सूराराम

झम्मूदेवी उर्फ झमुड़ी(पत्नि) किरण (पुत्री) सुशीला (पुत्री)

उपरोक्त वंशावली के अनुसार प्रार्थी सं. 1 से 3 स्व. तेजाराम के पुत्र है। तथा प्रार्थी सं. 4 गिरधारी राम का पुत्र व तेजाराम का पौत्र है। तथा प्रार्थी सं. 5 सूराराम की पत्नि व गिरधारी राम की पुत्र वधु है। एवं प्रार्थी सं. 6 व 7 सूराराम की नाबालिग पुत्रियां है। जो गिरधारी राम की पौत्रिया है।

पूर्व में वक्त सेटलमेन्ट विवादित कृषि भूमि ख.न. 234 ग्राम खेड़ापा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिताजी श्री गंगासिंह के नाम की दर्ज थी। श्री गंगासिंह ने अपने नाम से दर्ज खातेदारी भूमि ख.न. 234 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा को प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष श्री तेजाराम पुत्र देवाराम जाट को दिनांक 25.05.1964 को बेचान करते हुए प्रतिफल की राशि रूपये 95 (पिचानवें) प्राप्त कर 3 रूपये के स्टाम्प पर बेचाननामा गंगासिंह ने तेजाराम के हक में निस्पादित किया। बेचानसुदा उक्त कृषि भूमि को कब्जा वास्तविक एवं भौतिक रूप से श्री तेजाराम को सुपुर्द किया गया। जिसका पड़ौस निम्नानुसार है।

1 खेत के उत्तर में मूलसिंह, सुल्तानसिंह का खेत है।
2 खेत के आथूण में सियाग पूना के खेत है।
3 खेत के दक्षिण में बावरी बिजा, धुड़ वगैरा के खेत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:39:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

4 खेत के पूर्व में सियाग देराम वगैरा का खेत है।

गंगासिंह द्वारा तेजाराम को बेचान की गई कृषि भूमि ख.न. 234 ग्राम खेड़ापा का म्यूटेशन तेजाराम के करवाने एवं वक्त बेचान तक की बिगोड़ी गंगासिंह द्वारा देने तथा बेचान के बाद की बिगोड़ी तेजाराम द्वारा देने का बेचाननामा में स्पष्ट उल्लेख किया गया। उक्त भूमि खरीद करने के पश्चात् तेजाराम एकमात्र मालिक होने से बिगोड़ी समय–समय पर राजस्व विभाग में अदा की गई। उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त शुरू से है। तेजाराम का तथा तेजाराम के स्वर्गवास के पश्चात् तेजाराम के वारिसान् प्रार्थीगण का निरन्तर रूप से चला आ रहा है।

तेजाराम अनपढ़ एवं ग्रामीण परिवेश के कृषक होने एवं राजस्व रेकर्ड से सम्बंधित कानूनी जानकारी नहीं होने से गंगासिंह द्वारा किये गये बेचान दिनांक 25.05.1964 के माफिक राजस्व रेकर्ड में अपना नाम अमल–दरामद नहीं करवा सके। वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में तेजाराम ने अपने जीवनकाल में काश्त की तथा बिगोड़ी अदा की, जो खसरा गिरदावरी सम्वंत् 2014 से 2017, 2019, 2020 से 2030 में स्पष्ट रूप से तेजाराम का कब्जा काश्त उल्लेखित है तथा सम्वंत 2030 में तेजाराम द्वारा चने की फसल बो रखी थी। दिनांक 11.03.1973 (सम्वत 2030) की गिरदावरी स्लीप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तेजाराम का सम्वंत 2042 में स्वर्गवास होने से उनके विधिक वारिसान् प्रार्थीगण का कब्जा काश्त आज दिन चला आ रहा है। तथ मौके पर प्रार्थीगण के द्वारा खेत की तारबन्दी की हुई है। प्रार्थीगण ही विवादित भूमि के काबिज काश्तकार होने से प्रार्थीगण के नाम खातेदारी घोषित किये जाने बाबत् यह वाद विरूद्व अप्रार्थीगण पेश किया है।

अप्रार्थी सं 1 व 2 के पिता गंगासिंह द्वारा बेचान की गई उक्त विवादित भूमि की जानकारी अप्रार्थीगण को शुरू से ही थी तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही है। गंगासिह के स्वर्गवास होने के पश्चात तथ्यों को छुपाते हुए म्यूटेशन सं. 508 दिनांक 15.12. 2000 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कराते हुए सांठ–गांठ कर वादग्रस्त खसरा सं. 234 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा भूमि का अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपनी दूसरी खसरा की भूमि ख.न. 224 के साथ म्यूटेशन भरवाकर उक्त वादग्रस्त खसरा न. 234 रकबा 19.08 बीघा भूमि का राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अमल–दरामद करवाई गई।

नामान्तरण सं. 508 विधि विरूद्व स्वीकार किया गया को शून्य घोषित करते हुए निरस्त कर प्रार्थीगण के नाम ख.न. 234 रकबा 19.08 बीघा ग्राम खेड़ापा का नामाकरण किये जाने बाबत् पारित किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के पश्चात जानबूझ कर अप्रार्थी सं. 4 की शाखा में उक्त भूमि को रहन रखते हुए मौके का सत्यापन करवाये बिना लोन/ऋण प्राप्त किया है। जबकि अप्रार्थी सं. 1 से 4 को ऐसा कृत्य करने का कोई अधिकार नहीं था। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थीगण को धमकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:39:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

दी की यह खेत हमारे नाम का है, तथा हमने बैंक से लोन भी ले लिया है। तथा उक्त कृषि भूमि को बेचान भी कर देंगे। तब जाकर हल्का पटवारी से सम्पर्क कर जमाबन्दी रिकार्ड लिया गया। एवं प्रार्थीगण के जानकारी में आया कि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 व 2 का नाम चला आ रहा है।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विरूद्व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि वे ताः फैसला मूल वाद ग्रांम खेड़ापा तहसील–बावड़ी जिला–जोधपुर की सीमा के खसरा न. 234 रकबा 19.08 बीघा कृषि भूमि के किसी भी भाग को अप्रार्थीगण किसी को भी बेचान हस्तान्तरण नहीं करे न किसी अन्य से करावें। मौके की यथा स्थिति बनाये रखे किसी प्रकार का भी निर्माण नहीं करे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर उक्त वादग्रस्त आराजी पर विरूद्व अप्रार्थीगण के आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बिश्नोई उपस्थित हुए एवं जबाब प्रार्थना–पत्र मंय काउन्टर क्लैम पेश किया गया।

अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करते हुए बताया गया कि खेत खसरा न. 234 रकबा 19.08 बीघा तेजाराम का खरीद शुदा एवं कब्जा काश्त का नहीं आया हुआ है इस खसरे के बाबत् झूठा व बनावटी वाद प्रस्तुत किया है। तेजाराम का देहान्त वर्ष 1985 में हुआ था एवं उत्तरदाता के पूर्व पुरूष गंगासिंह का देहान्त वर्ष 1999 में हुआ था। उक्त दोनों के जीतेजी न तो तथाकथित क्रेता तेजाराम ने कोई वाद प्रस्तुत किया था ना ही कोई विधिक कार्यवाही की। तेजाराम के फौत होने के बाद गंगासिंह के जीवित रहने के दौरान प्रार्थीगणों ने भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। अपने आप को दिनांक 25.05.1964 से भूमि खरीद करना बता रहे है जो बेबुनियाद व गलत है। ऐसा कोई बेचाननामा गंगासिंह ने नहीं किया अगर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है। तो बनावटी व फर्जी है। प्रार्थीगण एवं उसके पूर्व पुरूष तेजाराम का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा व काश्त खरीददार के तौर पर नही रहा है। जहां तक प्रार्थीगण द्वारा सम्वत् 2014, 2017, 2019, 2020 से 2030 तक की गिरदावरी का प्रश्न है वो भी बनावटी है। तथा उक्त आंकड़े बेचाननामे की तारीख से मेल नहीं खाते है। इससे भी यह प्रमाणित हो जाता है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण मालिकाना हक जता रहे है। इस प्रकार न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं न ही किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को हो रही है। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Kareek
Date: 2022.04.27 18:39:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

परिस्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिले निरस्त है। अप्रार्थी सं. 1व 2 द्वारा काउन्टर क्लैम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने वाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को चुनौति देने के कारण अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह काउन्टर क्लैम प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 अभिलिखित खातेदार की हैसियत से काबिज व काश्त है। जिनके कब्जे व काश्त में दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। काउन्टर क्लैम में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण का प्रमाणित है। तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। तथा अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

अतः जवाब मंय काउन्टर क्लैम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लैम स्वीकार किया जावें।

प्रार्थीगण की और से अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा पेश काउन्टर क्लैम का जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि काउन्टर क्लैम सारहीन, मिथ्या, बनावटी कपोल कल्पित एवं पूर्व में बेचान कर देने से वर्तमान में कब्जा काश्त अप्रार्थीगणों का नहीं होने से काउन्टर क्लैम खारिज किया जावें।

पक्षकारन् अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया गया कि प्रार्थीगण का मौके पर वर्षों से कब्जा है। दिनांक 25.05.1964 को खरीदा था स्टाम्प लगा हुआ है। म्यूटेशन दर्ज करवाने के लिये अप्रार्थी के पिताजी ने कहा था कि करवा देगे। म्यूटेशन दर्ज नहीं हुआ। गिरदावरी में सम्वत् 2014–2017 तक नाम आया है। 2019 व आगे भी क्योंकि मेरा कब्जा है। रसीदें भी लगी हुई है। चने की खेती की। अप्रार्थी के पिता फौत होने से खोट आ गई। अलग खसरो जो खरीद नहीं किया । उसके साथ इस खसरे 234 को भी अपने नाम दर्ज करवा दिया। गिरदावरी एवं कब्जा काश्त प्रार्थी का है। अप्रार्थी ने बैंक से रहन ले रखा है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जबाब प्रार्थना–पत्र को दोहराते हुए जबाब प्रार्थना–पत्र को ही बहस बताया एवं कहा की जबाब ही मेरी बहस है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पक्षकारन् अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन एवं पक्षकारान् अधिवक्ताओं की बहस पर मनन के पश्चात यह कहना भी न्यायोचित होगा। कि तेजाराम का देहान्त वर्ष 1985 में हुआ था एवं अप्रार्थी सं 1 व 2 के पिता गंगासिंह का देहान्त वर्ष 1999 में [illegible]। उक्त दोनों की जीतेजी न हो तथाकथित क्रेता ने कोई वाद प्रस्तुत किया और [illegible] किसी प्रकार की कोई विविध कार्यवाही की गई। तेजाराम के फौत होने के बाद भी गंगासिंह के जीवित रहने के दौरान प्रार्थीगणों ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:39:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। अप्रार्थी सं 1 व 2 के पिता गंगासिंह के फौत होने पर ग्राम खेड़ापा के नामान्तरण सं. 508 भरा जाकर इनके वारिसान अप्रार्थी सं. 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 अभिलिखित खातेदार है। खातेदार की हैसियत से काबिज व काश्त है। जिनके कब्जे व काश्त में दखल अदाजी करने का कोई अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण मालिकाना हक जता रहे है। इस प्रकार न तो प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का बनता है। एवं न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। एवं न ही किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को हो रही है।

अतः उपरोक्त विवेचन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

सुमित्रा पारीक
सहायक कलेक्टर, बावड़ी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुमित्रा पारीक
सहायक कलक्टर, बावड़ी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:39:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner